जलवायु समानता: साझा लक्ष्य, अलग जिम्मेदारियाँ

समाचार संदर्भ: 19 सितंबर 2026 | जलवायु न्याय • अंतर्राष्ट्रीय सहयोग | GS-II / GS-III



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

जलवायु परिवर्तन सबको प्रभावित करता है, पर उसके लिए योगदान, उससे होने वाली क्षति और उसे सहने की क्षमता समान नहीं हैं। इसलिए समान लक्ष्य का अर्थ हर देश और हर परिवार पर एक जैसा बोझ डालना नहीं हो सकता।

खबरों में क्यों

19 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जलवायु न्याय, समानता और क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। आधिकारिक वक्तव्य ने सतत विकास तथा संवेदनशील देशों की जरूरतों को महत्व दिया। यह विषय भारत के लिए विकास की आवश्यकताओं और वैश्विक उत्सर्जन घटाने की जिम्मेदारी को एक साथ समझने का अवसर है। सम्मेलन में व्यक्त उपलब्धि-दावों को यहाँ स्वतंत्र रूप से सभी लक्ष्यों की पूर्ति का प्रमाण नहीं माना गया है।

जलवायु समानता का अर्थ क्या है?

जलवायु समानता या इक्विटी का अर्थ जिम्मेदारियों और सहायता का न्यायपूर्ण बँटवारा है। इसमें ऐतिहासिक योगदान, वर्तमान क्षमता, विकास की जरूरत और जोखिम से प्रभावित होने की स्थिति देखी जाती है। पेरिस समझौता साझा किंतु भिन्न जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं का सिद्धांत स्वीकार करता है। इसका अर्थ किसी देश को सभी प्रयासों से छूट देना नहीं; सभी को प्रयास करना है, लेकिन प्रयास और सहयोग की अपेक्षाएँ समान नहीं होंगी।

मुख्य तथ्य

संधि में आधार: पेरिस समझौते का अनुच्छेद 2.2 राष्ट्रीय परिस्थितियों के संदर्भ में समानता तथा साझा किंतु भिन्न जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं को स्थान देता है। यह जलवायु सहयोग में अंतर को मान्यता देने का आधार है।

सभी देशों का प्रयास: समझौते में सभी पक्षों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और समय के साथ बढ़ते प्रयास की व्यवस्था है। भिन्न जिम्मेदारी का तर्क घरेलू कार्रवाई को अनिश्चित काल तक टालने का औचित्य नहीं है।

वित्त और तकनीक: विकासशील देशों की सहायता में वित्त, तकनीक और क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 9 विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को शमन तथा अनुकूलन के लिए वित्तीय संसाधन देने की व्यवस्था रखता है।

देश के भीतर भी न्याय: जलवायु नीति का असर मजदूरों, किसानों और कम आय वाले परिवारों पर अलग पड़ सकता है। इसलिए देशों के बीच समानता के साथ देश के भीतर लागत और लाभ के बँटवारे को भी देखना चाहिए।

न्याय और प्रभावी कार्रवाई एक-दूसरे के पूरक क्यों हैं?

क्षमता का अंतर: कम वित्तीय या तकनीकी क्षमता वाला देश समान गति से बदलाव नहीं कर पाएगा। सुलभ सहायता उत्सर्जन घटाने और क्षति से बचाव की क्षमता बढ़ा सकती है।

भरोसा और सहयोग: घोषित सहायता समय पर न पहुँचे तो अंतर्राष्ट्रीय भरोसा कमजोर होता है। पारदर्शी वित्त, स्पष्ट शर्तें और मापने योग्य क्रियान्वयन समझौतों को व्यवहार में बदलने में मदद करते हैं।

संक्रमण की सामाजिक लागत: उद्योग या ऊर्जा प्रणाली बदलने से कुछ रोजगार प्रभावित हो सकते हैं। पुनःप्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा और वैकल्पिक रोजगार नीति को स्वीकार्य तथा टिकाऊ बना सकते हैं।

शमन और अनुकूलन: एक जैसे नहीं

शमन: कारण पर काम

ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटाना या उनका अवशोषण बढ़ाना।

दिशा: जलवायु परिवर्तन को सीमित करना। देशों के योगदान और घरेलू उपायों में जिम्मेदारी तथा क्षमता का अंतर महत्वपूर्ण है।

अनुकूलन: जोखिम से बचाव

बदलती जलवायु के सामने अनुकूलन क्षमता और सहनशीलता बढ़ाना तथा संवेदनशीलता घटाना।

दिशा: लोगों, आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा। अधिक जोखिम और कम क्षमता वाले समुदायों की जरूरतों पर ध्यान।

समानता का सवाल दोनों में है: कौन कितना प्रयास कर सकता है, किसे सहायता चाहिए और लागत का बोझ किस पर पड़ता है? एक प्रकार की कार्रवाई दूसरे की जरूरत समाप्त नहीं करती।

अवधारणा-आधारित तुलना, किसी देश के प्रदर्शन की रैंकिंग नहीं। आधार: पेरिस समझौते के अनुच्छेद 2, 4 और 7 का पाठ तथा लेख में समानता पर विश्लेषण।

विश्लेषण और आगे की राह

भारत के लिए समानता का पक्ष रखना और घरेलू कार्रवाई बढ़ाना परस्पर विरोधी नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय वित्त और तकनीक की माँग के साथ स्वच्छ ऊर्जा, दक्षता और अनुकूलन में निवेश आगे बढ़ सकता है। नीति का मूल्यांकन केवल स्थापित क्षमता या घोषणाओं से नहीं, वास्तविक परिणामों से करें। राष्ट्रीय तथा स्थानीय योजनाओं में प्रभावित समूहों की भागीदारी हो, ताकि संक्रमण की कीमत वही लोग न चुकाएँ जिनकी जिम्मेदारी और क्षमता सबसे कम है।

अवधारणा में अंतर

शमन का उद्देश्य उत्सर्जन घटाना या अवशोषण बढ़ाना है; अनुकूलन बदलते जलवायु जोखिम से नुकसान कम करता है। इसी तरह किसी लक्ष्य की घोषणा, उसे पाने की दिशा में प्रगति और लक्ष्य की सत्यापित पूर्ति अलग अवस्थाएँ हैं।

मेंस दृष्टि

समानता को कार्रवाई बनाम विकास के विकल्प में न बाँटें। जिम्मेदारी, क्षमता, वित्त, अनुकूलन और देश के भीतर न्याय को एक तर्क-शृंखला में रखें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

जलवायु समानता का सिद्धांत वैश्विक कार्रवाई को कमजोर करने के बजाय उसे अधिक प्रभावी बना सकता है। भारत के संदर्भ में विवेचना कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: बताएँ कि जलवायु परिवर्तन के लिए योगदान, उससे होने वाली क्षति और सहने की क्षमता समान नहीं हैं; इसलिए समान लक्ष्य का अर्थ हर देश पर एक जैसा बोझ नहीं हो सकता।

मुख्य भाग में: पेरिस समझौते के अनुच्छेद 2.2 के साझा किंतु भिन्न जिम्मेदारियों के सिद्धांत को स्पष्ट करें, पर बताएँ कि यह घरेलू कार्रवाई टालने का औचित्य नहीं; अनुच्छेद 9 के अंतर्गत वित्त, तकनीक और क्षमता-निर्माण की भूमिका रखें; मजदूरों, किसानों और कम आय वाले परिवारों पर संक्रमण की लागत के साथ देश के भीतर न्याय जोड़ें; विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय वित्त की माँग और स्वच्छ ऊर्जा व अनुकूलन में निवेश को भारत के लिए परस्पर पूरक बताएँ।

निष्कर्ष में: निष्कर्ष दें कि न्याय से भरोसा बनता है और वैश्विक कार्रवाई अधिक प्रभावी होती है; समानता को कार्रवाई बनाम विकास के विकल्प में न बाँटें।

स्रोत

- PIB, 19 सितंबर 2026: NGT सम्मेलन और जलवायु समानता
- UNFCCC: पेरिस समझौते का मूल पाठ, विशेषकर अनुच्छेद 2, 4, 7 और 9
- The Hindu, 19 सितंबर 2026: सम्मेलन के दावे और प्रगति का विश्लेषण

याद रखें: जलवायु न्याय जिम्मेदारी से बचना नहीं, कार्रवाई और सहयोग का बोझ न्यायपूर्ण ढंग से बाँटना है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: जलवायु समानता जिम्मेदारी और सहायता के न्यायपूर्ण बँटवारे का प्रश्न है। भिन्न क्षमता मानने का अर्थ घरेलू जलवायु कार्रवाई से छूट नहीं है।

प्रश्न: जलवायु न्याय पर सम्मेलन की चर्चा का क्या संदर्भ है?

19 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जलवायु न्याय, समानता और क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। आधिकारिक वक्तव्य ने सतत विकास तथा संवेदनशील देशों की जरूरतों को महत्व दिया। यह विषय भारत के लिए विकास की आवश्यकताओं और वैश्विक उत्सर्जन घटाने की जिम्मेदारी को एक साथ समझने का अवसर है। सम्मेलन में व्यक्त उपलब्धि-दावों को यहाँ स्वतंत्र रूप से सभी लक्ष्यों की पूर्ति का प्रमाण नहीं माना गया है।

प्रश्न: जलवायु समानता का क्या अर्थ है?

जलवायु समानता या इक्विटी का अर्थ जिम्मेदारियों और सहायता का न्यायपूर्ण बँटवारा है। इसमें ऐतिहासिक योगदान, वर्तमान क्षमता, विकास की जरूरत और जोखिम से प्रभावित होने की स्थिति देखी जाती है। पेरिस समझौता साझा किंतु भिन्न जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं का सिद्धांत स्वीकार करता है।

प्रश्न: पेरिस समझौते में भिन्न जिम्मेदारियों और सभी देशों के प्रयास का क्या संबंध है?

संधि में आधार: पेरिस समझौते का अनुच्छेद 2.2 राष्ट्रीय परिस्थितियों के संदर्भ में समानता तथा साझा किंतु भिन्न जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं को स्थान देता है। यह जलवायु सहयोग में अंतर को मान्यता देने का आधार है। सभी देशों का प्रयास: समझौते में सभी पक्षों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और समय के साथ बढ़ते प्रयास की व्यवस्था है।